(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 03 / 2026

पंजीकरण संख्या :– 2026 / 9

बउनवान

निहाल चौधरी निवासी वार्ड नं. 10, धाकडों के मंदिर के पास, एस.बी.आई. बैंक किशनगंज जिला बारॉ (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, किशनगंज जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 04.03.2026

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.01.2026 को लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, किशनगंज को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जो आप द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, किशनगंज के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 11.02.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, किशनगंज को जरिये सम्मन क्रमांक 92–93 दिनांक 11.02.2026 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 92–93 दिनांक 11.02.2026 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, किशनगंज द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक / विविध / 2026 / 1352 दिनांक 04.03.2026 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि निहाल सिंह चौधरी निवासी किशनगंज जिला बारॉ द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय हाजा से संबंधित नही है। उपरोक्त सूचना पंचायत समिति से संबंधित है। अपीलार्थी को पंचायत समिति किशनगंज से सूचना प्राप्त करने हेतु पत्रांक 1154 दिनांक 30.01.2026 से सूचित कर दिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई, उनके कार्यालय से संबंधित नही होने के कारण, अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगंज से संबंधित होने के कारण, अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक / आरटीआई / 2026 / 1154 दिनांक 30.01.2026 से अपीलार्थी को वहॉ से प्राप्त करने हेतु समय सीमा अन्दर एक माह मे सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **04.03.2026** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ